

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 33628

जयपुर,दिनांक: 13/09/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 53 एवं सपठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देशित करती है कि राजस्थान नगर पालिका (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 2017 के तहत जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व इस हेतु संबंधित नगर पालिका की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 33629-34056
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 13/09/17

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
04. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
05. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
06. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त नगर निगम राज0।
07. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
08. अधीक्षक,केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगाभी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
09. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी